राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर, दिनांकः 15 MAR 2024

आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 30.08.2023 द्वारा प्रशासन शहरों संग अभियान–2021 की अवधि दिनांक 31.03.2024 तक निर्धारित की गई थी। जिसके अनुसार सभी निकायों (प्राधिकरण/न्यास/निगम/परिषद /पालिका) में प्राप्त ऑनलाईन व ऑफलाईन आवेदन पत्र/प्रार्थना–पत्र/लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में अभियान अवधि में जारी की गई अधिसूचनाऐं/आदेश/परिपत्र/स्पष्टीकरण तथा विभिन्न छूटें, शिथिलताऐं एवं शक्तियां यथावत लागू रहेंगी के निर्देश प्रदत्त किये गये थे।

अभियान अवधि दिनांक 31.03.2024 तक सभी निकायों (प्राधिकरण/ न्यास/ निगम/ परिषद/पालिका) में प्राप्त ऑनलाईन व ऑफलाईन आवेदन/प्रकरणों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि मात्र ऐसे प्रकरण जिनमें आवेदनकर्ता द्वारा अभियान छूट के अनुरूप सम्पूर्ण राशि जमा करा दी है, उनसे अभियान अवधि के पश्चात् शेष राशि की मांग नहीं की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

15/3/24

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
स्थानीय निकाय विभाग।

(रवि विजय)
शासन उप सचिव
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सम्भागीय आयुक्त, समस्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को समस्त निकायों को निर्देशित किये जाने हेतु।
9. सचिव, जयपुर/ जोधपुर /अजमेर /कोटा/उदयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/ जोधपुर /अजमेर/कोटा/उदयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त————————।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
13. रक्षित पत्रावली।

15/3/24
शासन उप सचिव-प्रथम